न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास डॉ0 अमित यादव, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या –76/2023
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर – 2023/84

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्टस्
नरेन्द्र दायमा पुत्र प्रेमचन्द दायमा जाति खटीक निवासी मेड़तासिटी तहसील मेड़ता जिला नागौर		1. प्रेमचन्द पुत्र नेनाराम जाति खटीक निवासी मेडतासिटी तहसील मेड़ता जिला नागौर 2. बंशीलाल पुत्र नेनाराम जाति खटीक निवासी मेड़तासिटी तहसील मेड़ता जिला नागौर 3. रामदयाल पुत्र नेनाराम जाति खटीक निवासी मेड़तासिटी तहसील मेड़ता जिला नागौर 4. तहसीलदार मेड़ता तहसील मेड़ता जिला नागौर

उपस्थितिः–

1. अपीलान्ट की ओर से वकील श्री डूंगरराम चौधरी।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 की ओर से वकील श्री रामकिशोर बंग एवं वकील श्री नवनीत जोशी।
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 4 की ओर से राजपेरोकार श्री ओमप्रकाश पुनियां ।

:: निर्णय :: **दिनांक :– 10.01.2024**

अपीलान्ट द्वारा धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत न्यायालय तहसीलदार, मेड़ता द्वारा मौजा मेड़ता के खसरा नम्बर 3812,3813 एवं 4890 के संबंध में प्रेमचंद,बंशीलाल, रामदयाल के मध्य धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत बंटवाड़ा के संबंध में पारित आदेश दिनांक 18.11.2021 के विरूद्ध यह अपील दिनांक 27.03.2023 को प्रस्तुत की गई हैं। अपील के साथ धारा 96 सीपीसी व धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र भी प्रस्तुत किये गये,इसलिए धारा 96 सीपीसी व धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्रों पर सुनवाई सुरक्षित रखते हुए अपीलाण्ट की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्टस् को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

वकील उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। विद्वान वकील अपीलांट का कथन हैं कि पक्षकारान अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 के पैत्रिक संयुक्त सहकब्जे काश्त सहखातेदारी के खेताय मौजा मेड़ता तहसील मेडता जिला नागौर में हाल खसरा नं. 3812 रकबा 0.8600 हैक्टेयर जिसके गत खसरा नं. 3335/1 रकबा 0.8600 हैक्टेयर, खसरा नं. 3813 रकबा 2..06 हैक्टेयर गत खसरा नं. 3335/2 रकबा 2.06 हैक्टेयर, खसरा नं. 4890 रकबा 1.65 गत खसरा नं. 3445 रकबा 0.58 हैक्टेयर व खसरा नं. 3446 रकबा 1.06 हैक्टेयर है। तथा अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 01 आपस में पिता पुत्र है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 आपस में सगे भाई है।

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

उपरोक्त अपीलाधीन वादग्रस्त खेताय कृषि भूमि के साथ साथ रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 व उनकी माता मिसरकी पत्नी नेनाराम ने संयुक्त परिवार की अन्य जायदाद का बंटवाड़ा अपर जिला न्यायाधीश फास्ट ट्रेक ,नागौर शिविर मेड़ता शहर, राज० के मुकदमा नं. 137/2005 दिनांक 7.3.2006 को डिक्री किया गया था।

इस उपरोक्त बंटवाड़ा में उपरोक्त डिकी पर्चा के पैरा संख्या 3 के अनुसार खेत खसरा नं. 3335/1 रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा व खसरा नं. 3335/2 रकबा 12 बीघा 15 बिस्वा,खसरा नं. 3335/3 मिन रकबा बीघा 5 बिस्वा कुल रकबा 27 बीघा 8 बिस्वा कस्बा मेड़ता में भूरियासनी मार्ग पर स्थित है जिसके पड़ौस उतर में गोरधन माली का खेत, दक्षिण में रतन खटीक का खेत, पूर्व में जेतारण की सड़क है, पश्चिम में खेतों का रास्ता व आगे खेमाराम भंवरिया का खेत है। मौके पर जाकर किये गये बंट के मुताबिक यह पूरा खेत एक ही चक में स्थित है इस पूरे खेत के बीच वाला भाग वादी के बंट हिस्से में रहा है व बकाया उतरी भाग प्रतिवादी संख्या 2 प्रेमचंद के व दक्षिण का भाग प्रतिवादी संख्या 1 बंशीलाल के बंट हिस्से में रहा है जिसके दक्षिण में रतनलाल खटीक का खेत है। तथा उपरोक्त प्रकार से उक्त खेतों के तीन बराबर बंट कर लिये गये तथा कस्बा मेड़ता की सरहद का खेत खसरा नं. 3334/2 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा व खसरा नं. 3446 रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नं. 3445/1 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा जो तमाम आराजीयात प्रतिवादी संख्या 3 मिसरकी के बंट हिस्से में रखने की डिकी पारित की गयी। मगर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 ने राजस्व रेकर्ड में उक्त डिकी की पालना नहीं करवाई, जिससे बावजूद न्यायालय की डिकी के राजस्व रेकर्ड पूर्व की भांति रहा। जबकि सक्षम न्यायालय की डिकी के अनुसार फाईनलबंट हो चुका था। अपर जिला न्यायाधीश फास्ट ट्रेक नागौर शिविर मेडता,राज० के निर्णय व डिकी को निरस्त करवाये बिना ही उक्त डिकी के प्रभावी व अस्तित्व में है तथा पक्षकारान रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 पर बाध्यकारी प्रभाव रखती है तथा इस बंटवाड़ा के बाद में दिनांक 14.1.2020 को अपर जिला न्यायाधीश फास्ट ट्रेक नागौर शिविर मेड़ता की डिकी अनुसार अपीलांट के पिता रेस्पो.सं. 1 प्रेमचंद ने वादग्रस्त भूमि में अपने बंट में प्राप्त सुदा भौतिक रूप से तीसरे हिस्से के भूभाग को अपीलांट को बंट में देते हुऐ कब्जा मौके पर सुपुर्द कर दिया। जिससे अपीलांट को इस तीसरे हिस्से के भूभाग में हक व अधिकार उत्पन्न हुऐ। इस प्रकार व दोयम में उपरोक्त विवादित भूमि पैत्रिक होने से अपीलांट को जन्म से ही अधिकार प्राप्त थे तथा अपीलांट अपने पिता के साथ वादग्रस्त भूमियो में जन्म से ही कोपार्सनर होने से सहखातेदार काश्तकार रहा है और उसे ही बंट में दिया गया है। जिससे अपीलांट इस भूमि का खातेदार काश्तकार है। मगर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 ने दुरभिसंधी करके कपट से खेत हाल खसरा नं. 3812 रकबा 0.86 हैक्टेयर, खसरा नं. 3813 रकबा 2.6 हैक्टेयर, खसरा नं. 4890 रकबा 1.6 हैक्टेयर का पुनः बंटवाड़ा तहसीलदार मेड़ता से दिनांक 18.11.2021 को बालेबाले ही अपीलांट की पीठ पिछे एकतरफा में अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलांट की बंटसुदा भूमि का अवैध रूप से पुनः बंटवाड़ा करते हुऐ अपीलांट के बंट की भूमि का कुछ भाग रेस्पोडेन्ट संख्या 3 रामदयाल को दे दिया जो स्वयं में शून्य था तथा विधिक दृष्टिकोण से उसकी कोई मान्यता नहीं है। जिससे अपीलांट की खातेदारी की भूमि व खातेदारी हक अधिकारों के विपरीत विधि विरूद्व आदेश पारित करवा लिया गया है। इस विधि विरूद्व आदेश से अपीलांट के खातेदारी हक अधिकार प्रभावित होने से अपीलांट प्रभावित व पीड़ित, हितबद्ध पक्षकार है और अपीलाधीन आदेश से व्यथित पीडित पक्षकार है तथा उसे कानून के अनुसार अपील पेश करने का हक व अधिकार है इसलिए अपील प्रस्तुत करने के लिए धारा 96 सीपीसी. का अनुमति का आवेदन अलग से पेश किया है। अपीलांट

कलक्टर नागौर

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

को बंट में वादग्रस्त भूमि देते समय रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपर जिला न्यायाधीश फास्टट्रेक नागौर शिविर मेडता की डिकी के संबंध में जानकारी दे दी थी जिससे अपीलांट आश्वस्त रहा कि अपने पिता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के बंटसुदा भूमि को उन्होने फैमेली सेटलमेंट में अपीलांट को बंट में दे दी है,जिससे अपीलांट आश्वस्त था। मगर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 ने खेतों में पटवारी लाकर फरवरी 2023 के प्रथम सप्ताह में सींवे कायम करवाना चाहा, जिस हरकत को अपीलांट पहले तो समझ नहीं सका लेकिन बाद में पटवारी हल्का से पूछताछ करने पर पटवारी हल्का ने दिनांक 2.2.2023 को नकल देते हुऐ बताया कि इन खेतो का बंट नक्शे के मुताबिक किया गया है। जबकि सिविल न्यायालय का बंटवाड़ा ऐसा नहीं था। जिस पर अपीलांट ने पटवारी आदि के चक्कर लगा रहा था और अंत में पटवारी ने बताया कि नागौर जाकर उपरोक्त खेतो के नये पुराने नम्बरो का रिकॉर्ड मंगवाओ, जिस पर अपीलांट ने दिनांक 24.2.2023 को नया पुराना रिकॉर्ड लिया, लेकिन उसमें भी कोई पता नहीं लगा, आखिरकार अपीलांट ने वकील के मार्फत दिनांक 21.3.2023 को तहसील में पता करवाया तो आदेश जैर अपील की जानकारी हुई जिसकी नकल का आवेदन दिनांक 21.3.2023 को किया गया, जिसकी नकल दिनांक 21.3.2023 को अधिवक्ता को मिली, दुसरे दिन वकील के पास जाकर नकल ली तब उसके विरूद्ध अपील की कानूनी राय मिलने पर अपील का खर्चाजुटा कर दिनांक 24.3.2023 को सायं तक नागौर आकर अपील तैयार करवाई तत्पश्चात दिनांक 25 व 26.3.2023 को सरकारी अवकाश होने से बिना देरी के यह अपील प्रथम जानकारी से अन्दर मियाद पेश की हैं तथा जानकारी से अपील प्रस्तुत में हुई देरी माफ करने हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का अलग से प्रार्थना पत्र पेश किया हैं।

विद्वान वकील अपीलांट का यह भी कथन हैं कि कि अपीलांट के पिता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अर्थात रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 सगे भाई है जिन्होने प्रश्नगत आराजी के संबंध में व इसके साथ साथ संयुक्त परिवार की अन्य अचल सम्पतियों के बंटवाड़े का दावा संख्या 137/05 बअनवान रामदयाल बनाम बंशीलाल सक्षम न्यायालय अपरजिला न्यायाधीश फास्ट ट्रेक नागौर शिविर मेडता शहर, राज0 के न्यायालय से जरिये राजीनामा दिनांक 7.3.2006 को वाद स्वीकार होकर कब्जा की डिकी प्रदान की गयी, जिससे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 ने अपील करके चुनोती देकर निरस्त नहीं करवाया, जिससे उक्त वाद में पारित निर्णय व डिकी अंतिम हो चुका है। कानून अनुसार उपरोक्त तथ्यो अनुसार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 इसी वादग्रस्त खसरा भूमि बाबत पुनः विभाजन के अधिकारी नहीं रहे जाते है इस प्रकार से उक्त वादग्रस्त भूमि के बंटवाड़े का नया दावा/प्रार्थना पत्र/ विभाजन पत्र किसी भी न्यायालय के समक्ष मेन्टेनेबल नहीं था जिससे आदेश जैर अपील कानूनी तौर पर बाधित होने से खारिज होने योग्यहै। कानून अनुसार धारा 11 व आदेश 23 नियम 3ए, सीपीसी,के अनुसार नया दावा बाधित है। इस प्रकार से अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मेड़ता का आदेश दिनांक 18.11.2021 इललिगल और ऐररनेस होने से निरस्त होने योग्य है।

विद्वान वकील अपीलांट का यह भी कथन रहा कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश जैर अपील विधि विपरीत है तथा गैर कानूनी है। चूंकि तहसीलदार को आराजी/वादग्रस्त भूमियों का बंटवाड़ा करने का बहिस्सा बराबर का ही बंटवाड़ा करने का अधिकार है। खातेदारी अधिकारों में कम ज्यादा भूमियों का बंटवाड़ा करने का क्षेत्राधिकार तहसीलदार को प्राप्त नहीं है। इस प्रकार से कम ज्यादा भूमियो का बंटवाड़ा किया गया है ऐसी शक्ति क्षेत्राधिकार को धारा 53 राज0 टि० एक्ट व धारा 52(2)(11) के दावे के निर्णय में ही प्रदत्त है जो कि सहायक कलक्टर को निहित की गयी है। जिससे कानूनी तौर पर भी अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि अनुकुल नहीं माना जा सकता। इस

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

प्रकार से ऐसे इललिगल आदेशो को निरस्त किये जाने हेतु मियाद का बिन्दु भी लागू नहीं होता है जिससे भी आदेश जैर अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश जेर अपील विधि विरूद्व होने से निरस्त फरमाया जावे तथा रेकर्ड की पूर्व की स्थिति बहाल करवाई जाकर मामला सहायक कलक्टर मेड़ता के न्यायालय को उचित निस्तारण हेतु भेजे जाने का आदेश फरमावे।

विद्वान वकील अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में 2022(2)DNJ(Rev.)978, 2022(1)DNJ (Rev.) 207 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किए।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट का दौराने बहस कथन हैं कि माननीय न्यायालय एडीजे फास्टट्रेक, मेड़ता के निर्णय के बाद सहखातेदार पक्षकार पुनः बंटवाड़ा नहीं करवाने के लिए बाउण्ड नहीं हैं। माननीय न्यायालय एडीजे फास्टट्रेक,मेड़ता के प्रकरण के समय पक्षकारों की माता उस प्रकरण में पक्षकार थी तथा उनके स्वर्गवास के बाद पक्षकारों ने आपसी सहमति से भूमि का बंटवाड़ा तहसीलदार न्यायालय से करवाया हैं,जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं हैं। अपीलांट प्रश्नगत भूमि का सहखातेदार नहीं हैं, इसलिए उसे यह अपील पेश करने का कानूनन अधिकार ही नहीं हैं। भूमि की उपयोगिता एवं उपजाउपन को मध्यनजर रखते हुवे पक्षकारों ने आपसी सहमति से बंटवाड़ा करवाया हैं,जो किसी प्रकार से गैर कानूनी नहीं हैं। केवल मात्र हमें परेशान करने की नियत से यह अपील पेश की हैं। अपीलांट को पहले नियमति वाद से अपने हक तय करवाने हैं,उसकी बाद उसे उसकी पिता की सम्पति में हक व अधिकार प्राप्त होगा। अपीलांट न तो सह खातेदार हैं एवं न ही इस सम्पत्ति का हकदार हैं,जिससे उसे इस बंटवाड़ा को चलेन्ज करने का कतई अधिकार नहीं हैं।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट का यह भी कथन हैं कि अपीलांट द्वारा यह अपील मयाद में पेश नहीं की हैं,केवल मात्र अपील को मयाद में लेने के लिए मनगढ़त तथ्य प्रार्थना–पत्र में पेश किये गये शपथ–पत्र में लिखे हैं। इसलिए अपील मयाद बाहर होने से खारिज फरमायी जावें।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी2021(1) पेज 246,बंबई उच्च न्यायालय प्रकरण 2009 का सिविल आवेदन संख्या 4684,2005 की प्रथम अपील संख्या 21,दिनांक 07.08.2012 अनवान् खलील हाजी भोमिया सालार और अन्य बनाम परवीन पत्नी सैय्यदुद्वीन रजाक और अन्य,इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रकरण संख्या 6929/2019 दिनांक 21.10.2019 अन्वान मनोज व अन्य बनाम श्रीमती देवेन्द्रदेवी में पारित निर्णयों की प्रति पेश कर मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि अपीलांट एक अजनबी हैं,इसलिए बंटवाड़ा के आदेश को चुनौती नहीं दे सकता हैं। इसलिए अपील खारिज फरमायी जावें।

विद्वान वकील अपीलांट ने जबाब में यह कथन किया कि मैं अजनबी नहीं हूँ। प्रश्नगत बंटवाड़ा की भूमि पुस्तैनी भूमि हैं,इसलिए हिन्दू लॉ के अनुसार मुझे इस भूमि पर जन्म से अधिकार प्राप्त हैं तथा मेरे हितो पर कुठाराघात हो रहा इसलिए मुझे इस आदेश को चुनौती देने का पूर्ण अधिकार हैं। वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा पेश की गई यह नजीरे इस प्रकरण में लागू नहीं हैं,इसलिए अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावें।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का विधि पूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में सर्व प्रथम में यह बिन्दू तय किया जाना उचित हैं कि अपीलांट को तहसीलदार,मेड़ता द्वारा पारित बंटवाड़ा के आदेश दिनांक 18.11.2021 के सम्बन्ध में अपील पेश करने का अधिकार हैं या नहीं हैं। इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड नामान्तरकरण संख्या 7043 के अनुसार ग्राम मेड़ता की आराजी खसरा नम्बर 3812,3813,4890 कुल क्षेत्रफल 4.5700 है0 के खातेदार (1) बंशीलाल पुत्र

कलक्टर नागौर

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

नेनाराम हिस्सा 1/3 जाति–खटीक सा0 देह खातेदार (2) प्रेमचन्द पुत्र नेनाराम हिस्सा 1/3 जाति–खटी सा. देह खातेदार (3) रामदयाल पुत्र नेनाराम हिस्सा 1/3 जाति–खटीक सा. देह खातेदार के नाम दर्ज रही हैं। पक्षकारों द्वारा तहसीलदार,मेड़ता को पेश किये गये बंटवाड़ा के आवेदन–पत्र में भी इसी प्रकार इन्द्राज दर्ज हैं। इन राजस्व रेकार्ड के इन्द्राजों से यह प्रकट हैं कि प्रश्नगत भूमि के सहखातेदार प्रेमचंद,बंशीलाल,रामदयाल दर्ज हैं। अपीलांट राजस्व रेकार्ड में प्रश्नगत भूमि का न तो खातेदार हैं एवं न ही खातेदारी दर्ज होने का कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध हैं। अपीलांट, सहखातेदार प्रेमचन्द का पुत्र हैं,इसलिए अपीलांट को अपने पिता की सम्पति में अपने हक अभी सक्षम न्यायालय से तय करवाये जाने हैं। वर्तमान राजस्व रेकार्ड के सहखातेदारों द्वारा आपसी सहमति से बंटवाड़ा तहसीलदार,मेड़ता के समक्ष पेश किया,जो तहसीलदार,मेड़ता द्वारा स्वीकृत किया गया हैं।

इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से अपीलांट आराजी मुतनाजा का खातेदार दर्ज नहीं होने से तथा प्रश्नगत आदेश के प्रकरण में भी पक्षकारान नहीं हैं एवं न नही अपीलांट वादग्रस्त भूमि का हितबद्व पक्षकार हैं। इसलिए दफा 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना–पत्र के आधार पर उन्हें (अपीलांट को) अपील पेश किये जाने की कानूनन स्वीकृति प्रदान नहीं की जा सकती हैं।

अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त रेकार्ड के अवलोकन से यह प्रकट हैं कि मौजा मेड़ता की आराजी खसरा नम्बर 3812,3813,4890 के प्रेमचंद पुत्र नेनाराम 1/3,बंशीलाल पुत्र नेनाराम 1/3,रामदयाल पुत्र नेनाराम 1/3 कौम खटीक सा0 देह खातेदर दर्ज करते हुए बंटवाड़ा का आवेदन पत्र तहसीलदार, मेड़ता को पेश कर आवेदन–पत्र के बिन्दू संख्या 02 के अनुसार आपसी सहमति से बंटवाड़ा किये जाने का निवेदन किया हैं,जिस पर तहसीलदार,मेड़ता द्वारा दिनांक 18.11.2021 को प्रस्तुत बंटवाड़ा आईएलआर,मेड़ता व पटवारी मेड़ता की रिपोर्ट अनुसार बंटवाड़ा स्वीकार किया जाता हैं का आदेश पारित किया हैं।

अपीलांट द्वारा इस आदेश को चुनौती देते हुए यह कथन किया हैं कि प्रथम में तो पक्षकारों के बीच इस भूमि का बंटवाड़ा माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश(फास्ट ट्रेक)नागौर शिविर, मेड़ताशहर द्वारा प्रकरण संख्या 137/2005 में दिनांक 07.03.2026 को निर्णय पारित करते हुवे बंटवाड़ा इस जमीन का कर दिया था,इस निर्णय को चुनौती दिये बगैर ही एवं इस निर्णय की पालना करवाये बिना ही तहसीलदार को पूरी जानकारी उपलब्ध करवाये बिना हैं इस निर्णय से अलग पुनः बंटवाड़ा करवाया गया हैं। द्वितिय में तहसीलदार,मेड़ता बंटवाड़ा आदेश में खातेदारो के हिस्से से भिन्न भूमि बंटवाड़ा आदेश में पक्षकारों का दी हैं,जिसका उनको अधिकार नहीं हैं।

अपीलांट के प्रथम बिन्दू के सम्बन्ध में अपील के साथ पेश माननीय न्यायालय की डिक्री प्रकरण संख्या 137/2005 निर्णय/डिक्री दिनांक 07.03.2006 के बिन्दू संख्या 3 के अवलोकन से यह प्रकट है कि इस डिक्री में पक्षकारों के मध्य क्षेत्रफल का बंटवाड़ा नहीं किया गया हैं। तथा माननीय न्यायालय द्वारा जारी डिक्री में भी खसरा नम्बर 3335/1 रकबा 5बीघा 6 बिस्वा,खसरा नम्बर 3335/2 रकबा 12 बीघा 15 बिस्वा,खसरा नम्बर 3335/3मिन रकबा 9 बीघा 5 बिस्वा कुल रकबा 27 बीघा 8 बिस्वा पूरा खेत ही एक ही चक में स्थित हैं यह अंकित किया हैं। इस प्रकार माननीय न्यायालय के निर्णय में क्षेत्रफल एवं लगान का विभाजन नहीं किया गया हैं। अब क्षेत्रफल एवं लगान का बंटवाड़ा सहखातेदारों की आपसी सहमति से भूमिधारी तहसीलदार,मेड़ता द्वारा करते हुवे (1)प्रेमचंद के बंट में रकबा 0.97 है0 लगान 3.88 (2) बंशीलाल के बंट में रकबा 0.97 हैं0 लगान 3.88 (3) रामदयाल पुत्र नेनाराम के बंट में रकबा 0.98 है. लगान 0.92 किया हैं। इस बंटवाड़ा में क्षेत्रफल

कलक्टर नागौर

में खातेदार रामदयाल के 0.01 हैं भूमि ज्यादा रखी गई परन्तु इस खातेदार के बंट में आई भूमि के लगान के अवलोकन से अन्य खातेदारों से इस रकबे की लगान बहुत कम निर्धारित की हैं,जिससे यह प्रथम दृष्टया प्रकट हैं कि भूमि के उपजाउपन को मध्यनजर रखते हुवे पक्षकारों के बीच तहसीलदार,मेड़ता द्वारा आपसी सहमती से बंटवाड़ा किया हैं। जिससे तहसीलदार,मेड़ता के इस आदेश दिनांक 18.11.2021 में हस्तक्षेप किये जाने के आवश्यकता नहीं हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती हैं तथा तहसीलदार,मेड़ता द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.11.2021 यथावत् रखा जाता हैं। अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय की प्रति सहित मूल अभिलेख पुनः लौटाया जावें।

निर्णय आज दिनांक 10.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ0 अमित यादव)
जिला कलक्टर
नागौर

कलक्टर नागौर